सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 3 - जल उपभोक्ता समितियों का गठन

विषय 3.3 जल उपभोक्ता समितियों का गठन

विषय-3.3

जल उपभोक्ता समितियों का गठन

मॉड्यूल-3 के विषय

3.1 जल उपभोक्ता समितियों के गठन का उद्देश्य

3.2 सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन) का महत्व

3.3 जल उपभोक्ता समितियों का गठन

3.4 जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण

1. जल उपयोगकर्ता संघों का गठन:

कई राज्यों में सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम बनने से पहले सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के तहत सहकारी जल उपयोगकर्ता समितियों की स्थापना की जा रही थी और उनके माध्यम से सिंचाई के पानी का प्रबंधन किया जा रहा था। पीआईएम अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद भारत में कई

राज्यों में जल उपयोगकर्ता संघ पीआईएम अधिनियम के तहत स्थापित किए गए है। जल उपयोगकर्ता संघ बनाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

2. लघु वितरिका स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ के कमांड क्षेत्र का परिसीमन

ऐसा नहर अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे नहीं है, इस संबंध में अधिकारिक रूप से अपने अधिकारो का उपयोग करते हुए, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, हायड्रोलिक- जलशास्त्रीय नियमों के अनुसार और प्रशासनिक सुविधा के मददे नजर जल उपयोगकर्ता संघो के क्षेत्र का परिसीमन कर सकता है और उस क्षेत्र को पीआईएम अधिनियम के तहत लघु वितरिका स्तर के जल उपयोगकर्ता संघ का क्षेत्र घोषित कर सकता है। इस तरह घोषित सिंचाई क्षेत्र में प्रवाह और लिफ्ट सिंचाई दोनों शामिल हो सकते हैं।

3. जल उपयोगकर्ता संघ की प्रबंध समितियाँ, प्रबंध संचालक मंडल और अध्यक्ष के चुनाव।

सिंचाई परियोजना के प्रकार के आधार पर जल उपयोगकर्ता संघ के विभिन्न स्तर याने टियर्स हैं। टियर्स की अवधारणा को समझने के लिए हम किसी भी बृहद या बड़ी सिंचाई परियोजना का उदाहरण ले सकते है। बृहद या बड़ी सिंचाई परियोजना वो परियोजना है जिसका कमांड क्षेत्र दस हजार हेक्टेयर से अधिक का होता है।

- लघू वितरिका या मायनर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ को मायनर लेव्हल एसोसिएशन याने MLA कहा जाता है।
- वितरिका स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ को डिस्ट्रीब्युटरी लेव्हल एसोसिएशन याने DLA कहा जाता है।

- मुख्य नहर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ को केनाल लेव्हल एसोसिएशन याने CLA कहा जाता है।
- परियोजना स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ प्राजेक्ट लेव्हल एसोसिएशन याने PLA कहा जाता है।

उपरोक्तानुसार जल उपयोगकर्ता संघों को बनाने के लिए PIM अधिनियमों में प्रावधान किए गए हैं। आइए, हम जल उपयोगकर्ता संघों के गठन के लिए इन अधिनियमों में दिये हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखें।

- मायनर स्तर पर प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संघ के लिए एक प्रबंध समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष और संचालक सहित ऐसे कई सदस्य होंगे जिन्हें चुनाव या सहमती से निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह के एसोसिएशन में निर्धारित योग्यता रखने वाले सचिव होंगे और ऐसे व्यक्ति के वेतन और भत्ते संबंधित जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित किए जाएंगे।
- इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत नहर अधिकारी, ऐसे समय के भीतर और निर्धारित विधीनुसार जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों में से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा मायनर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ की प्रबंध समिति के संचालकों के चुनाव की व्यवस्था करेगा।
- जल उपयोगकर्ता संघ के अधिनस्त क्षेत्र के शिर्ष, मध्य और छोर के भूमि धारकों या अधिभोगियों को प्रबंधन समिति मे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा; कम से कम 20% महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जावेगा।

- नहर अधिकारी निर्धारित तरीके से मायनर स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघ के अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था करेंगे। प्रबंध समिति के संचालक मंडल की पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जावेगा। इस बैठक की अध्यक्षता नहर अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- चेयरपर्सन के पद का कार्यकाल, हेड, मिडिल और टेल का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रबंध समिति के संचालको और महिला संचालक के बीच ऐसे होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि, जहां एक भूमि धारक एक से अधिक जल उपयोगकर्ता संघ के संचालन के क्षेत्र में भूमि का मालिक है या कब्जा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति केवल एक जल उपयोगकर्ता संघ की प्रबंध समिति के संचालक पद के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र होगा जो उसके द्वारा निर्धारित तरीके से चुना गया हो।
- नहर अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए, चुनाव को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर सकता है।
- प्रबंध समिति के संचालक, जब तक कि पीआईएम अधिनियम की किसी भी धारा के तहत उन्हे वापस नहीं बुलाए जाता हैं, उक्त प्रबंध समिति के गठन की तारीख से छह साल की अवधि के लिए कार्यालय रखेंगे।
- प्रबंध समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी और जल उपयोगकर्ता संघ के ऐसे कार्य करेगी, जैसा कि इस अधिनियम में प्रदान किया गया है और जैसा कि निर्धारित है।
- पीआईएम अधिनियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, नहर अधिकारी को चुनाव लंबित रखने और निर्धारित तरीके से एक तदर्थ प्रबंधन समिति नियुक्त करने का अधिकार है।

महाराष्ट्र के मामले में, सिंचाई प्रबंधन में किसानों के लिए महाराष्ट्र सिंचाई प्रणाली का किसानो व्दारा प्रबंधन (MMISF) अधिनियम 2005 के तहत जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) को सभी प्रकार के सिंचाई परियोजना में सिंचाई जल प्रबंधन के लिए सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया मॉडल है। जल उपयोगकर्ता संघों के गठन में प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का अपनाया गया है। जिसमें जल उपयोगकर्ता संघों की योजना, गठन और पंजीकरण, संयुक्त निरीक्षण, कार्यों की पहचान, क्षेत्र हस्तांतरण, संचालन और कार्यात्मक पहलुओं में सदस्यों के प्रशिक्षण और ज्ञान के प्रसार में लोगों की भागीदारी शामिल है।

प्रोजेक्ट अथॉरिटी कमांड क्षेत्र को हायड्रोलिक आधार पर निर्धारण करती है जो प्रशासनिक रूप से भी व्यवहार्य रहता है और उसे जल उपयोगकर्ता संघ का क्षेत्र घोषित करता है। इससे जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) की स्थापना के लिए आधार मिलता है।

याद रखें: महाराष्ट्र में पीआईएम अधिनियम का नाम है - महाराष्ट्र सिंचाई प्रणाली का किसानें व्दारा प्रबंधन (एमएमआईएसएफ) अधिनियम 2005। विभिन्न राज्यों में पीआईएम अधिनियम के लिए अलग नाम हो सकता है।

मायनर स्तर पर प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संघ सभी जल उपयोगकर्ताओं से मिलकर बनता है जो सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में रहने वाले भूस्वामी हैं। ये पानी उपयोगकर्ता प्रस्तावित जल उपयोगकर्ता संघ के अधिकारीक सदस्य रहते हैं। सभी सदस्य जल उपयोगकर्ता संघ के सामान्य शाँसी निकाय का गठन करते हैं।

हर जल उपयोगकर्ता संघ की एक प्रबंध समिति होती है। जल उपयोगकर्ता संघ के प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव या मतदान के द्वारा किया जाता है।

मायनर स्तर के सभी जल उपयोगकर्ता संघो के प्रबंध समिति के सदस्य डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल वाटर यूजर एसोसिएशन (DLA) के सामान्य निकाय का गठन करते हैं और वे DLA की प्रबंध समिति का चुनाव करते हैं। ऐसी वितरिका स्तर के समिती को वितरिका जल उपयोगकर्ता संघ (डीएलए) कहा जाता है। मायनर लेव्हल के सभी जल उपयोगकर्ता संघ के प्रबंध समिति के सभी सदस्य DLA के सदस्य बन जाते हैं। DLA स्तर पर वे फिर से प्रबंध समिति बनाते हैं।

सभी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जल उपयोगकर्ता संघ के सभी प्रबंध समिति के सदस्य नहर स्तर के जल उपयोगकर्ता संघ (CLA) के सामान्य निकाय का गठन करते हैं और वे CLA की प्रबंध समिति का चुनाव करते हैं। मुख्य नहर पर की इस प्रबंध समिति को नहर स्तर जल उपयोगकर्ता संघ (सीएलए) कहा जाता है। वितरिका स्तर जल उपयोगकर्ता संघ के सभी प्रबंध समिति के सदस्य CLA के सदस्य बन जाते हैं। सीएलए स्तर पर वे फिर से प्रबंध समिति बनाते हैं।

नहर स्तर जल उपयोगकर्ता संघ के सभी प्रबंध समिति के सदस्य, जलाशय पर नहर से सिंचाई करने, कमान में नदी भाग से सिंचाई करने, के.टी वियर से सिंचाई करने और जलाशय से परे नदी के हिस्से से पानी लेकर सिंचाई करने वाले सभी मिलकर प्रकल्प स्तरीय जल उपयोगकर्ता संघ (Project Level Association) के सदस्य रहते है। वे सभी एक साथ प्रोजेक्ट लेवल वाटर यूजर एसोसिएशन (पीएलए) के सामान्य निकाय का गठन करते हैं और वे पीएलए की प्रबंध समिति का चुनाव करते हैं।